

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमलाबाई बनाम रतन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 120/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमलाबाई शं.प्रसाद, पुष्कर</u> पिता श्री <u>आजीमाल, बाबुलाल शं.प्रसाद, बालुलाल शं.प्रसाद बेल्ला</u> निवासी <u>रोलाहेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>रोलाहेडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1345/759, 1350/769, 758, 765, 768</u> <u>0.08, 0.45, 0.04, 0.14</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोलाहेडा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1345/759, 1350/769, 758, 765, 768</u> <u>0.26, 0.08, 0.45, 0.04, 0.14</u> कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>0.9700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>प.प्र. हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p> 